



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U. P. Power Corporation Limited

(U.P.Govt. Undertaking)

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या: 148-आ०प्र०(2ब)/पा०का०लि०/2022-प्रोन्नति(02ब)/2022-23

दिनांक: 07 नवम्बर, 2022

कार्यालय ज्ञाप

विभागीय चयन समिति की संस्तुति पर कारपोरेशन कार्यहित में एतद्वारा निम्नांकित सहायक अभियन्ताओं (वैद्युत एवं यान्त्रिकी) को अधिशासी अभियन्ता (वैद्युत एवं यान्त्रिकी) के पद पर प्रोन्नत किया जाता है तथा स्थानान्तरित कर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से स्थानापन्न अधिशासी अभियन्ता (वैद्युत एवं यान्त्रिकी) के पद पर नियुक्त तथा स्तम्भ संख्या-4 में उल्लिखित निगम को तैनाती हेतु आवंटित किया जाता है:-

क्र० सं०	अभियन्ताओं का नाम/SAP ID / अभिज्ञान सं०/जन्मतिथि/ से०नि० तिथि/गृह जनपद	सहायक अभियन्ता के पद पर वर्तमान तैनाती कार्यालय/निगम	अधिशासी अभियन्ता (वैद्युत एवं यान्त्रिकी) के पद पर प्रोन्नति के पश्चात् आवंटित निगम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	रजित कुमार/11002084 /2015324/20.12.1990/ 31.12.2050/मैनपुरी।	सहायक अभियन्ता, सम्बद्ध अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, हरदोई मा०वि०वि०नि०लि०।	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०।
2	महेश चन्द्र विश्वकर्मा/11000429 /2015326/07.01.1991/ 31.01.2051/महोबा।	सहायक अभियन्ता कार्यालय प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणांचल आगरा, दा०वि०वि०नि०लि०।	पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०।
3	रमन वासुमित्रा/11005398/ 2015327/17.08.1988/ 31.08.2048/झांसी।	सहायक अभियन्ता (सी), विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड, फिरोजाबाद, दा०वि०वि०नि०लि०।	मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०।
4	अजय मौर्य/11000718 /2015328/11.07.1991/ 31.07.2051/गोरखपुर।	सहायक अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-11, मऊ, पूर्ववि०वि०नि०लि०।	दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०।

2- नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर लें कि प्रोन्नत अधिकारी ने कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं०-5910-गोपन/पा०का०लि०(06)-2001 दिनांक 11-6-2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वांकन का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित कर लिया है।

3- उपरोक्त प्रोन्नत अधिकारियों को कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं०-2900-प्रशि०-10/पा०का०लि० दिनांक 23.12.2003 के प्राविधानानुसार उनके द्वारा अधिशासी अभियन्ता पद पर कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् मुख्य अभियन्ता, प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन एवं विकास उ०प्र० पा०का०लि०, लखनऊ द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण कराया जायेगा जिसमें इनका भाग लेना अनिवार्य होगा।

4- उपरोक्त प्रोन्नत अधिकारियों को कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल अवमुक्त कर दिया जाय।

5- यदि वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम, अंकित कार्यालय/निगम से भिन्न है, उस दशा में, कार्यालय ज्ञाप में अंकित कार्यालय/निगम के स्थान पर वास्तविक वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम, प्रत्येक व्यावहारिक उद्देश्य के लिए मान्य होगा।

6- उपरोक्त प्रोन्नति आदेश मा० उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ में योजित याचिका सं०-4274/2022, आशुतोष कुमार तिवारी एवं अन्य बनाम उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० में अन्तिम निर्णय के प्रतिबन्धाधीन है।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या: 148(1)अ0प्र0(2ब)/पा0का0लि0/2022 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/समस्त निदेशक के निजी सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0द्रा0का0लि0, लखनऊ।
- 2- प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल, वाराणसी/मध्यांचल, लखनऊ/दक्षिणान्चल, आगरा/पश्चिमान्चल, मेरठ विद्युत वितरण निगम लिमिटेड/केस्को, कानपुर।
- 3- अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 4- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)/मुख्य अभियन्ता (स्तर-2)/मुख्य महा प्रबन्धक/महा प्रबन्धक, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0द्रा0का0लि0।
- 5- समस्त संयुक्त सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0द्रा0का0लि0।
- 6- उप महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखा अधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।
- 7- उप सचिव, ज0श0 प्रशि0 एवं प्रशा0सु0/गोपन/अ0प्र0-(03/04)/अ0प्र0-07 उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।
- 8- सम्बन्धित अधिकारी/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल/नोटिस बोर्ड।

आज्ञा से,


(सद्वर्तमान)
उप सचिव